न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 29/2022
पंजीयन दिनांकः 29.06.2022

1. मांगीलाल पिता जीतमल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना हाल ई–12/8 स्टाफ कॉलोनी विक्रम नगर खोर तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
2. रुकमणी पत्नि मांगीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना हाल ई–12/8 स्टाफ कॉलोनी विक्रम नगर खोर तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
3. मदनलाल पिता जीतमल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना हाल मीरा कॉलोनी एफ–1, 10/2 आदित्यपुरम सावा शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. शकुन्तला पत्नि शिवलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना हाल 64–सी गांधीनगर सेक्टर नम्बर 5 चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. सोहन बाई पत्नि रामचन्द्र जाति ब्राह्म्ण निवासी राजपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. केला पिता आसु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
3. गोमा पिता आसु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
4. कमली पुत्री नानु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
5. झमकु पुत्री नानु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
6. डाली पुत्री नानु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
7. प्रेमचंद पिता नानु जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
8. सोहनी पत्नि नानु जाति बोला निवासी सोनियाना– (मृतक नाम विलोपित)

– रेस्पोडन्टगण/प्रार्थीगण

9. अणछी पिता गोपाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
10. गोपाल पिता जीतमल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
11. झमकु पत्नि कजोड जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
12. तुलसी पत्नि पुष्पेन्द्र जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
13. नन्दराम पिता जीतमल जाति ब्राह्म्ण निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
14. कंचन पत्नि शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
15. मांगीबाई पत्नि भेरुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
16. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडन्टगण/अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 33/2020 प्रार्थना पत्र निर्णय एंवं आदेश दिनांक 27.05.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस 1. सुरेश चन्द्र शर्मा- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. ललित कुमार शर्मा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7
3. सत्यनारायण शर्मा- रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 15
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 16

निर्णय **दिनांक :- 24.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्टगण 1 से 8 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 16 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सोनियाना तहसील गंगरार मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 3667, 3713, 3714, 3707, 3709, 3710, 3698, 3701, 3704, 3712 अवस्थित है। रेस्पोडेन्टगण 1 से 8 प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आने-जाने फसल लाने, कृषि उपकरण व मवेशी लाने ले जाने हेतु मोजा सोनियाना से मोजा जवासिया जाने वाले आम रास्ता जो आराजी नम्बर 3665 से होकर आम रास्ते के दक्षिण दिशा मे स्थित अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण की आराजी नम्बर 3666 रकबा 7.70 हैक्टेयर के उत्तरी पश्चिमी दिशा मे होकर विपक्षी सं. 10 व 11 रेस्पोडेन्ट के आराजी नम्बर 3667/4360 रकबा 0.43 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा मे होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 3767 मे प्रवेश कर अपनी अन्य आराजीयात मे आते-जाते है। उक्त रास्ता 12 फीट होकर लम्बवत् है जो नजरी नक्शे मे ए से बी मार्क से दिकदर्शित किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की आराजीयात के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण उक्त रास्ते से ही अपनी कृषि आराजीयात मे करीबन 50 वर्षो से आ जा रहे है, लेकिन विपक्षी अपीलान्टगण दिनांक 20.06.2020 को जबरन उक्त रास्ते मे अवरोध डालकर रास्ता अवरूद्ध करने हेतु पत्थर व कंटीली छडिया डालकर रास्ता अवरूद्ध करने लगे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण ने रास्ता अवरूद्ध नही करने हेतु कहने पर विपक्षीगण ने कहा हमारे खातेदारी मे रास्ता है इसलिये रास्ता बन्द करेगे व पत्थर चुनकर रास्ता बन्द करने की धमकी दी। अन्त मे यह निवेदन किया कि विपक्षीगण अपीलान्ट रास्ते मे किसी प्रकार का निर्माण व पत्थर व थोर की बाड़ लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर देते है तो रास्ता खुलवाया जावे। इस रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर आने-जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की ओर से अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 16 के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 16 विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्टगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्टगण 9 से 16 विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर तहसीलदार गंगरार से रास्ते की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता नही होना मानते हुए आराजी नम्बर 3666 रकबा 7.70 हैक्टेयर मे से 0.10 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3667/4360 रकबा 0.43 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि कमिश्नर रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने व खातेदारान को डी.एल.सी. की दुगुनी मुआवजा राशि दिलाये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण व विपक्षीगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 व 9 से 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 8 की मृत्यु हो जाने से नाम विलोपित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वारते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण ने अपीलान्टगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्ट विपक्षी सं. 9 से 16 के विरूद्ध रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये जिसमे अपीलान्ट की तामील नही हुई जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 को सुविधा के लिये रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 8 सोहनी प्रार्थिया नम्बर 8 सोहनी का दिनांक 21.05.2021 को स्वर्गवास हो चुका था। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 8 सोहनी की नाम कायमी कराये बगैर मृतक के पक्ष मे निर्णय व आदेश पारित किया है। कमिश्नर रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण के अलावा कोई पक्षकार उपस्थित नही हुआ न ही किसी के हस्ताक्षर करवाये गये। अन्त मे अपील अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 स्वीकार की जाकर पत्रावली प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण व अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 16 विपक्षीगण की रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई है। जमाबन्दी मे अंकित पते के अनुसार 21 दिन के बाद एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 15 ने चालु रास्ते को बन्द किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात पर आने-जाने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यो की पूर्णतया जांच की जाकर आराजी नम्बर 3666 व आराजी नम्बर 3667/4360 की मेड पर मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 15 विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिसम्मत होना नही बताते हुए अपीलान्टगण विपक्षी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 16 विपक्षी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.05.2022 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 16 विपक्षीगण के विरूद्ध मोजा सोनियाना तहसील गंगरार मे अपने खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 3667, 3713, 3714, 3707, 3709, 3710, 3698, 3701, 3704, 3712 कृषि आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सोनियाना से मोजा जवासिया जाने वाले आम रास्ता जो आराजी नम्बर 3665 से होकर आम रास्ते के दक्षिण दिशा मे स्थित विपक्षी सं. 1 से 9 अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 13 की आराजी नम्बर 3666 के उतरी पश्चिमी दिशा में होकर विपक्षी सं. 10 व 11 रेस्पोडेन्ट्गण के आराजी नम्बर 3667/4360 के पश्चिम दिशा में होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 प्रार्थीगण को अपने आराजी नम्बर 3767 में प्रवेश कर अपनी अन्य कृषि आराजीयात में आने जाने हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि तय की जाकर 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावें। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 28.04.2022 तक अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 की तामील हेतु नियत थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय से रजिस्टर्ड डाक से तामील प्रेषित की जाकर अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट्गण की अनुस्थिति मे तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण सं. 1 से 8 के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर निर्णय व आदेश पारित किये, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 8 प्रार्थीया सं. 8 का स्वर्गवास निर्णय के पूर्व हो जाने से निर्णय व आदेश मृतक के पक्ष में पारित हुये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण विपक्षी सं. 6 से 9 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 33/2020 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.05.2022 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर तलब करते हुये अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ